दिल्ली विकास प्राधिकरण
(वित्त एवं व्यय)

एफ एंड ई परिपत्र संख्या: 09/2017

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि सी.एस. (एम.ए) नियम, 1944, के अंतर्गत चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए अंतिम दावों को जमा करने की समय सीमा के संशोधन के संबंध में सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी ओ.एम संख्या एस.14025/19/2015- एम एस दिनांक 27.05.2015 दि.वि.प्रा. में भी तदनुसार लागू होगा।

यह परिपत्र उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(कल्पना मौंगिया)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वित्त एवं व्यय)

संख्या: एफ ई. 7 (21) 2016/डीडीए/302 दिनांक: 06/07/017

प्रतिलिपि:

1. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के विशेष कार्य अधिकारी को उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ;
2. वित्त सदस्य /अभियंता सदस्य के निजी सचिव को उनके सूचनार्थ ;
3. सभी प्रधान आयुक्त /मुख्य सतर्कता अधिकारी /मुख्य विधि सलाहकार; /मुख्य लेखाधिकारी, दि.वि.प्रा. ;
4. सभी आयुक्त /आयुक्त एवं सचिव;
5. सभी मुख्य अभियंता /मुख्य वास्तुविद्, दि.वि.प्रा. ;
6. वित्त सलाहकार (आवास) /निदेशक (वित्त) / चिकित्सा एवं पेंशन /लेखा परीक्षा;
7. उप मुख्य लेखा अधिकारी (मुख्यालय)-I, II एवं III /सभी क्षेत्रीय उप मुख्य लेखा अधिकारी;
8. लेखा अधिकारी (पेंशन)- समन्वय;
9. गार्ड फाइल

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वित्त एवं व्यय)
दि.वि.प्रा.

संख्या: एस. 14025/19/2015 - एम एस

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 27 मई, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सी.एस (एम.ए) नियम, 1944 के अंतर्गत चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए अंतिम दावों को जमा करने की समय सीमा में संशोधन।

कृपया ओ.एम. संख्या एफ. 29-40/68- एम.ए. दिनांक 15.10.1968 का संदर्भ लें जिसमें यह व्यवस्था है कि बीमारी की विशेष अवधि के संबंध में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के अंतिम दावों को सामान्यत: उपचार की समाप्ति की तिथि से 03 महिनों के अंदर जमा कराया जाना चाहिए।

2. नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) से इस प्रकार के चिकित्सा बिलों को जमा कराने की समय सीमा को 03 महिने से 06 महिने तक बढ़ाने का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। मंत्रालय ने मामले की जांच की और यह निर्णय लिया गया कि चिकित्सा दावों को जमा करने की 03 महिने की अवधि को 06 महिने तक संशोधित किया जाए। अब से केवल बिल जमा कराने के उन मामलों के लिए क्षमादान अपेक्षित होगा जो अस्पताल से रोगी के चिकित्सा उपचार /छुट्टी की समाप्ति की तिथि से 06 महिने के बाद जमा कराए गए हों। इस प्रकार के विलंब की माफी और अन्य निबंधन एवं शर्तें ओ.एम संख्या: एस. 14025/8/99- एम एस दिनांक: 25.05.1999 के जैसे ही रहेंगी ।

3. यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सुनील कुमार गुप्ता

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय /विभाग
2. सभी राज्य /केन्द्र शासित सरकार
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली- 110002 ।